अति महत्वपूर्ण / व्यक्तिगत ध्यानाकर्षणार्थ।

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः 62/2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकःदिसम्बर 06, 2018

विषयः मा0 उच्च न्यायालय में दोषमुक्ति के विरुद्ध योजित राजकीय अपील संख्या–793 / 2018 उ0प्र0 राज्य बनाम लईक व 02 अन्य के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी लोग इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि दोषपूर्ण विवेचना से जहॉ अभियुक्तों को दोषमुक्त होने का लाभ प्राप्त होता है वहीं पुलिस बल की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मा0 न्यायालय द्वारा कभी–कभी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रतिकूल टिप्पणी भी की जाती है।

2. श्री शिव कुमार पाल, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जनपद बरेली, थाना भोजीपुरा के सत्र परीक्षण संख्या 257 / 2015, अ0सं0 02 / 2015 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 के सम्बन्ध में योजित राजकीय अपील में उनके द्वारा पाया गया है कि विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तों की निशादेही पर वादी मुकदमा के पुत्र की हत्या में प्रयुक्त खूनालूदा चाकू बरामद किया गया है परन्तु उसको वैज्ञानिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है। उनके द्वारा अपने पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि अनेक मामलों में विवेचाधिकारी के स्तर पर की गयी लापरवाही / चूक पर मा0 न्यायालय द्वारा गम्भीर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। शासकीय अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल के सन्दर्भित पत्र दिनांकित 16.11.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैंः

"In large number of cases including the aforesaid case, the Hon'ble Court has expressed its serious displeasure for the serious lapses on the part of the Investigating officers while conducting the investigation of criminal cases. In large number of cases it has been found that material exhibits either it is clothes or weapons etc. were not sent to the FSL/Serologist or to the ballistic expert as may be required, which seriously prejudice the case of the prosecution during trial.

In the aforementioned factual position reflected from large number of case, you are requested to ensure that wherever such recoveries are made by the Investigating officers during the course of investigation, it must be sent to the FSL/Serologist or to the ballistic expert as the case may be."

मुख्य अपराधों की विवेचना हेतु हस्तपुस्तिका
डीजी परिपत्र सं0–33 / 18 दि0 23.06.18
डीजी परिपत्र सं0–40 / 16 दि0 17.07.16
डीजी परिपत्र सं0–52 / 15 दि0 12.07.16
डीजी परिपत्र सं0–51 / 15 दि0 12.07.16
डीजी परिपत्र सं0–44 / 15 दि0 15.06.16

3. अनेक मामलों में मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा वैज्ञानिक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष को अत्यधिक विश्वश्नीय मानते हुये मा0 न्यायालय द्वारा अपना अन्तिम निर्णय पारित किया गया है। अपराधों की विवेचना में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का समावेश करते हुये गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध, त्रुटिहीन, तथ्यपरक विधिक विवेचना सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर अनेक निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका उल्लेख पार्श्व में अंकित है तथा जो उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **uppolice.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

Scanned by CamScanner

4. आपराधिक मामलों की विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु इस मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2013 को एडीजी परिपत्र संख्या–2/13 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके द्वारा विवेचना के सम्बन्ध में घटनास्थल पर ही कार्य योजना बनाये जाने, भौतिक साक्ष्यों के संकलन एवं उनका वैज्ञानिक ढंग से विवेचना में लाभ प्राप्त करने तथा **गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने हेतु अ.शा.प.सं.डीजी–सात–एस–4(256)/2011 पार्ट दिनांकित 25.04.2013 के माध्यम से विस्तृत चेकलिस्ट भी निर्गत की गयी है, जो उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट uppolice.gov.in पर उपलब्ध है।**

5. आप सभी को पुनः स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध विवेचना के सम्बन्ध में मुख्य अपराधों की विवेचना हेतु हस्त पुस्तिका, अ.शा.पत्र दिनांकित 25.04.2013 एवं पार्श्वांकित परिपत्रों का भली–भॉति अवलोकन एवं परिशीलन करके इस तथ्य की चर्चा अपराध गोष्ठी में अवश्य करें तथा अभियोगों की विवेचना में अधिक से अधिक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक एवं भौतिक साक्ष्यों का संकलन कराया जाना तथा संकलित प्रदर्शो का वैज्ञानिक/विशेषज्ञ से परीक्षण कराकर गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं विधिसंगत विवेचना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे दोषी व्यक्ति विवेचना में हुई त्रुटियों का लाभ न उठा सकें।

6. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि सभी विवेचकगण इन दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा यदि किसी विवेचक द्वारा विवेचना में उदासीनता, लापरवाही या दिशा निर्देशों के उल्लंघन का प्रमाण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दण्ड़ात्मक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करें। विवेचना के पर्यवेक्षण अधिकारीगण इसे विशेष रूप से देखें, जिससे विवेचना में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता स्पष्ट परिलक्षित हो। आप सबके सुलभ मार्गदर्शन हेतु उक्त चेक लिस्ट पुनः संलग्न कर अनुपालन हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

6.12.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner